**प्रतिवादी के आक्षेप का उत्तर**

............... न्यायालय

वाद सं..................... सन् २०२१

के मामले में.............

**अबक**  ........ वादी

बनाम

**कखग**  ......... प्रतिवादी

वाद के मूल्यांकन के बारे में प्रतिवादी के आक्षेप का वादी उत्तर तथा न्यायालय फीस निम्नलिखित रूप में अति सादर पूर्वक प्रस्तुत की जाती

1. यह कि आक्षेप के पैरा 1 की अन्तर्वस्तुएं सही एवम् स्वीकृत की जाती है।
2. यह कि आक्षेप के पैरा 2 की अन्तर्वस्तुएं गलत है और उनका प्रत्याख्यान किया जाता है। वादी ने न्यायालय फीस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार तीन गुना द्वारा गुणा किये गये वार्षिक भू राजस्व के आधार पर वाद का मूल्यांकन किया है।
3. यह कि आक्षेप के पैरा 3 की अन्तर्वस्तुएं निराधार तथा वाद के निपटाने में मात्र विलम्ब करने के लिए है और आक्षेप खर्च सहित खारिज किये जाने योग्य है। यह तद्नुसार प्रार्थना की जाती है।

**वादी**

**जरिये**

**अधिवक्ता**

**स्थान.....**

**तारीख.....**